रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) जी हां, सकरी से हसनपुर रोड तक नई लाइन का निर्माण कार्य 100 करोड़ रुपये की लागत पर बजट में शामिल कर लिया गया है। इस लाइन के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण तथा भूमि अधिग्रहण का कार्य वित्त वर्ष 1996-97 में शुरू किया जायेगा।

मध्य प्रदेश में रेल लाइनों का बिछाया जाना

586. श्री अजीत जोगी:
श्री एस.एस. सुरजेवाला:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995 से आज की तिथि तक मध्य प्रदेश में किन-किन स्थानों पर नयी रेल लाइनें बिछाई गई हैं;

(ख) राज्य में ऐसे स्थानों के नाम क्या है जहां इस समय नयी रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं;

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है; और

(घ) मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान रेल सेवाओं के विस्तार और सुधार से संबंधित कार्य तथा रेल लाइनों को बिछाने से संबंधित किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) मध्य प्रदेश में 1995 से कोई नई लाइन नहीं बिछाई गई है, बहरहाल, परासिया-छिंदवाड़ा का आमाप परिवर्तन पूरा हो गया है।

(ख) इस समय देवास-मक्सी तथा गुना-इटावा खण्डों में कार्य प्रगति पर है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) में रेल लाइन बिछाने से संबंधित का विवरण दिया गया है, मध्य प्रदेश में गाड़ी सेवाओं के विस्तार तथा सुधार के बारे में यह उल्लेखनीय है कि :-

(i) यात्रियों को यथा संभव कम से कम समय में टिकट जारी करना सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश के कुछ स्टेशनों पर माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित स्वतः मुद्रण टिकट मशीनें लगायी गई हैं।

(ii) रेलवे स्टेशनों का विस्तार तथा सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है, मध्य प्रदेश राज्य के कुछ स्टेशनों पर 1995-96 के दौरान प्रतीक्षा कक्षों/प्रतीक्षालयों, प्लेटफार्म सायबानों, पीने के पानी की सुविधाओं, बैठने के स्थान की व्यवस्था आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था इनमें वृद्धि करने से संबंधित यथापेक्षित कार्य किए गए थे।

(iii) 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश में निम्नलिखित गाड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं:-

1. नई गाड़ियां

8403/8404	पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
4243/4244	सूरत-वाराणसी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)
1517/1518	सतना-मानिकपुर पैसेन्जर
1519/1520	सतना-मानिकपुर पैसेन्जर
1 पी.बी./	
2 पी.बी.	बिलासपुर-पांडरा रोड पैसेन्जर
4313/4314	दादर-बरेली एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
1029/1030	पुणे-हावड़ा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
7611/7612	नांदेड-अमृतसर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
1031/1032	पुणे-वाराणसी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
1 आर.बी./	
2 आर.बी.	बिलासपुर-रायपुर पैसेन्जर
33/34	नीमच-चित्तौड़गढ़ पैसेन्जर
69/70	इंदौर-मऊ पैसेन्जर
9303/9304	इंदौर-भोपाल डी.एम.यू. गाड़ी

Banning the use of Polythene Bags

587. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that polythene bags are not biodegradable and, therefor a cause of environmental degradation;

(b) whether it is also a fact that under the public awareness campaign of Bharat Vikas Parishad, Manali Town Himachal Pradesh has completely replaced polythene bags by paper and jute bags; and

(c) whether Government would consider adivising all States to follow this healthy example and ban the use of polythene bags in their respective territories?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAIN PRASAD